



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276274
CG-DL-E-16092026-276274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4855]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4855]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 5045(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की तरल इथेन/प्रोपेन (C2/C3) के परिवहन के लिए समर्पित पाइपलाइन के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत, श्री ऋषभ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिनियुक्ति के आधार पर, 11 फरवरी 2028 तक सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. PC-21011/5/2026-PETCHEM (E - 56875)]

अनुज कुमार दहिया, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2026

S.O. 5045(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Sh. Rishabh Verma, Deputy Collector, Government of Uttar Pradesh to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 on deputation basis, for dedicated pipeline for transportation of liquid Ethane/Propane (C2/C3) of M/s GAIL (India) Limited in the state of Uttar Pradesh for a period up to 11 February, 2028.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. PC-21011/5/2026-PETCHEM (E - 56875)]

ANUJ KUMAR DAHIYA, Under Secy.